

ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
गैर-संस्थागत और स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्ति की शर्तें

कंपनी अधिनियम, 2013 के सांविधिक प्रावधानों, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों, लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों तथा कंपनी के अंतर्नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आपकी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को निर्धारित करता है। कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति की विस्तृत शर्तें निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं:

1) नियुक्ति एवं कार्यकाल:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2026 को जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में, आपकी नियुक्ति का कार्यकाल दिनांक 28 सितंबर 2026 से अगले आदेश तक रहेगा।

2) बैठक शुल्क:

आप प्रत्येक बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए ₹20,000/- (केवल बीस हजार रुपए) के बैठक शुल्क के अधिकारी हैं तथा बोर्ड-स्तरीय समितियों के सदस्य प्रत्येक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹10,000/- (केवल दस हजार रुपए) के बैठक शुल्क के पात्र हैं।

3) कंपनी की बैठकों एवं कार्य से संबंधित व्यय:

निदेशक बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा (जहाँ उपलब्ध हो, सीधे मार्ग से) तथा बोर्ड/समिति की बैठकों अथवा कंपनी द्वारा विशेष रूप से अनुरोधित अन्य आधिकारिक बैठकों/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उनके द्वारा किए गए आवास एवं भोजन संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक पारिश्रमिक/कमीशन/वेतन आदि के रूप में किसी अन्य मौद्रिक लाभ के हकदार नहीं हैं।

4) निदेशक मंडल की अपेक्षाएँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व:

निदेशकों से व्यक्तिगत रूप से और/या सामूहिक रूप से अपेक्षित कार्य, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों; केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, 2010; तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई)

(बीमाकर्ताओं के लिए कॉरपोरेट अभिशासन) विनियम, 2024 और उसके अंतर्गत जारी बीमाकर्ताओं के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी मास्टर परिपत्र, 2024 में निर्धारित हैं, के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा गठित समितियों के विचारार्थ विषय भी आपके अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। आई आर डी ए आई द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, बीमा कंपनियों के निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त न हों जो कंपनी के हितों के प्रतिकूल हो। ऐसी गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची प्रसंविदा विलेख में दी गई है, जिसे बीमा कंपनी में नव नियुक्त सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

5) व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता (बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए), जिसका अनुपालन सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाना है, आपके अवलोकनार्थ उपलब्ध है। आप उसमें उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में कंपनी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

6) हित संबंधी प्रकटीकरण:

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार, कोई व्यक्तिगत निदेशक एक ही समय में अधिकतम 20 कंपनियों में निदेशक पद धारण कर सकता है। इन 20 कंपनियों में से अधिकतम 10 कंपनियाँ सार्वजनिक कंपनियाँ हो सकती हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में परिभाषित आपकी स्वतंत्र स्थिति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक मंडल को दें। प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं के लिए आवश्यक मार्गदर्शन हेतु आप निःसंकोच कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

7) गोपनीयता:

आपके कार्यकाल के दौरान प्राप्त सभी जानकारी गोपनीय रहेंगी तथा आपके कार्यकाल के दौरान अथवा त्यागपत्र देने/पद से मुक्त होने के पश्चात् तृतीय पक्ष/सोशल मीडिया पर इसका प्रसार केवल ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकेगा।

8) निदेशकों एवं अधिकारियों की दायित्व बीमा पॉलिसी:

सभी निदेशक, कंपनी द्वारा समय-समय पर प्राप्त की जाने वाली निदेशकों एवं अधिकारियों के दायित्व बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आच्छादित हैं। वर्तमान पॉलिसी को एच डी एफ सी एगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से

दिनांक 20 फरवरी 2027 तक वैध ₹250 करोड़ की कुल देयता सीमा के साथ प्राप्त किया गया है। यह पॉलिसी कंपनी के निदेशक/अधिकारी के रूप में व्यक्तियों द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कर्तव्यों के निर्वहन पर लागू है।

9) प्रशिक्षण:

निदेशकों को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्वों से परिचित कराने के लिए निदेशकों का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी निदेशकों को बोर्ड से संबंधित कार्यप्रणालियों, बोर्ड की कार्यगतिशीलता, विभिन्न समितियों के कार्य, कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी कार्यप्रणालियों आदि से संबंधित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित प्रासंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है तथा उनके लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं।